

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 484 / 2023

दिनांक : 15.02.2023

डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया (RJ0357), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीकर को दिनांक 07.01.2023 से 21.01.2023 तक 15 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 22.01.2023 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. अटवासिया की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीकर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
14.02.2023
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/63/2000/1119

दिनांक : 15.02.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीकर को उनके पत्रांक 04 दिनांक 23.01.2023 के सन्दर्भ में।
3. डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया (RJ0357), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीकर।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर।

14.2.2023
सहायक रजिस्ट्रार